

8486

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-9/2015

Order

Dated Shimla-171002, the 30-1-16

Sub :- Diversion of 1.0171 ha of forest land for the construction of Sarwari-III Small Hydro Electric Project (2MW) in favour of M/s Gaur Hydro Power Private Ltd. V& PO Katrain, Tehsil Kullu, Distt. Kullu under the jurisdiction of Kullu Forest Division, District Kullu, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HPB/02/47/2014/2306 दिनांक 15-01-2016 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 1.0171 हेक्टेयर वन भूमि को M/s Gaur Hydro Power Pvt. Ltd. को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं।

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 प्रतिपूर्ति पौधरोपण प्रस्ताव के अनुसार 53/E/1 of Maharaja-III UPF village Dharka में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 2.05 है० वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधरोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
- 3 एन.पी.वी. की दरों में अगर कोई बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों / स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Backward bearing भी अंकित किया जाएगा।
- 6 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 7 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
- 8 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 9 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 10 प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर आवश्यक मृदा संरक्षण कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेगा।
- 11 कम से कम वृक्षों का कटान / पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 129(97 Trees & 32 Saplings) पेड़ों से अधिक न हो।
- 12 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 13 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।
- 14 उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० वं माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 15 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector- cum- Deputy Commissioner Kullu, District Kullu, H.P.

आदेश अनुसार

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

2/-

30-1-2016

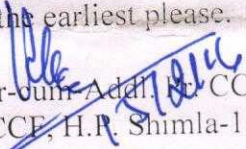
Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Additional Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office, Dehradun, Pearson Road, New Forest, Dehradun.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Deputy Commissioner, Kullu, Distt., Kullu, Himachal Pradesh.
5. The Nodal Officer-cum Addl. PCCF (FCA) O/o PCCF (HoFF), Talland Shimla.
6. CF Kullu/ DFO Kullu, Forest Division, Distt. Kullu, H.P.
7. M/s Gaur Hydro Power Private Ltd. V& PO Katrain, Tehsil Kullu, Distt. Kullu
8. Guard File.


(Sat Pal Dhiman)
Deputy Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.
Dated Shimla-1, the 30-1-2016

Endst. No.Ft.48-2786/2014(FCA).

Copy is forwarded to CCF (IT) for information and further necessary action. He is requested to upload the formal order on the Web Site of Forest Department as issued by Addl. Chief Secretary (Forests) to GoHP at the earliest please.


Nodal Officer-cum Addl. Pr. CCF (FCA)
O/o Pr. CCF, H.P. Shimla-1

S/A


23/2